पत्रांक–बी/पु0फा0 बगहा (ATR)–02/2016–....................../

फैक्स/स्पीड

3
आई०टी०मैनेज

बिहार सरकार
गृह विभाग
(विशेष शाखा)

प्रेषक

जितेन्द्र कुमार
सरकार के विशेष सचिव

सेवा में

जिला पदाधिकारी
पश्चिम चम्पारण (बेतिया)

पटना, दिनांक–..............2016

विषयः– दिनांक–24.06.2013 को पश्चिम चम्पारण राजस्व जिला के बगहा पुलिस जिलान्तर्गत नौरंगिया थाना क्षेत्र के कटहरवॉ गॉव में हुई पुलिस फायरिंग में 6 (छः) मृत व्यक्तियों के आश्रितों, 08 (आठ) गंभीर रूप से घायल, 15 (पन्द्रह) सामान्य रूप से घायल ग्रामीणों एवं 1 (एक) व्यक्ति श्री गणेश महतो जिनकी रीढ़ की हड्डी गोली चालन की घटना में टूट गई थी उनकी स्थायी अपंगता को देखते हुए गृह विभाग के स्वीकृत्यादेश सं0–9797 दिनांक–17-10-16 के आलोक में मानवता के दृष्टिकोण से राहत के लिए 51,00,000/–(एकावन लाख) रुपये मात्र का अनुग्रह–अनुदान का आवंटन।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को पूर्व में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारणको वर्तमान में आवंटित राशि	वित्तीय वर्ष 2016–17 में जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण को कुल आवंटित राशि
शून्य	51,00,000/– (एकावन लाख) रुपये	51,00,000/– (एकावन लाख) रुपये

महाशय,

उपरोक्त आवंटित राशि **51,00,000/–(एकावन लाख)** रूपये मात्र चालू वित्तीय वर्ष–2016–17 में मुख्य शीर्ष–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–उप मुख्य शीर्ष–60–अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम–लघु शीर्ष–200–अन्य कार्यक्रम, मांग संख्या–22–उप शीर्ष–0011–मानवता के दृष्टिकोण से राहत, विपत्र कोड–N2235602000011, यूनिट कोड–3102 के अंतर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

2 जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण कृपया यह सुनिश्चित कर लेगें कि उनके द्वारा अनुग्रह–अनुदान राशि का भुगतान संबंधित मृत/घायल व्यक्तियों की समुचित पहचान कर, कर दी जाएगी। राशि का भुगतान बैंक ड्राफ्ट/चेक के माध्यम से किया जायेगा।

3. उपरोक्त राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया होगें।

4. उपरोक्त राशि की निकासी जिला कोषागार, पश्चिम चम्पारण, बेतिया से की जायेगी।

5. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या–2561 दिनांक–17.04.98 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया की होगी।

कृ0पृ0उ0

6. इस राशि का उपयोग जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा संबंधित मृत व्यक्तियों के आश्रितों तथा घायल व्यक्तियों को मानवता के दृष्टिकोण से राहत राशि के रुप में भुगतान में उपयोग किया जाएगा। किसी भी अन्य योजना के कार्य में इस राशि का विचलन नहीं किया जायेगा।

7. जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया का यह दायित्व होगा की भुगतान की गयी राशि का भुगतान प्रमाण पत्र गृह विभाग (विशेष शाखा), पटना को यथाशीघ्र निश्चित रूप से उपलब्ध करा देगें।

8. यदि किसी कारणवश जिला पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण, बेतिया द्वारा उक्त राशि का भुगतान न हो पाये तो उसका प्रत्यार्पण वित्तीय वर्ष 2016–17 की समाप्ति के पूर्व गृह विभाग (विशेष शाखा), बिहार, पटना को निश्चित रूप से कर दिया जायेगा।

विश्वासभाजन

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–................................/ पटना, दिनांक–................................ 2016

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–................................/ पटना, दिनांक–................................ 2016

फैक्स
स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि :–प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बेतिया (पश्चिम चम्पारण)/वित्त विभाग(बजट शाखा), बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–................................/ पटना, दिनांक–................................ 2016

प्रतिलिपि :–प्रभारी उप सचिव, प्रशाखा–''ए0'' गृह विभाग (विशेष शाखा) को लेखा संधारण हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–.....9798......................./ पटना, दिनांक–.....17 : 10 –..... 2016

प्रतिलिपि :–आई0 टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

Jitendra 17.10.16
सरकार के विशेष सचिव

17/10